भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट
मुंबई 400 001

सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-। बैंक

महोदया/महोदय,

प्राधिकृत डीलर श्रेणी-। बैंकों के लिए रिपोर्टिंग अनुदेश – ड्राफ्ट

कृपया समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5 जुलाई, 2016 का मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेन-देन देखें, जिसके अनुसार प्राधिकृत डीलर श्रेणी-। (एडी कैट-।) बैंकों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं के माध्यम से की गई सभी ओवर द काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्ट, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के ट्रेड रिपॉजिटरी (टीआर) को करना आवश्यक है। समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव) निदेश, 2025 का भी संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके अनुसार रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार में बाजार निर्माताओं को उनके द्वारा सीधे या उनकी विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए सभी ओटीसी रुपया आईआरडी लेन-देन के साथ-साथ, उनके संबंधित पक्षों द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए सभी रुपया आईआरडी लेन-देन की रिपोर्ट सीसीआईएल के टीआर को करना आवश्यक है।

2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि एडी कैट-। बैंक अपने संबंधित पक्षों द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई भारतीय रुपये (आईएनआर) से जुड़ी सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्ट संलग्न अनुबंध के अनुसार सीसीआईएल के टीआर को करेगा।

3. ये निदेश अनुबंध में दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी होंगे।

4. ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डबल्यू और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4), 11(1) और 11(2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/अनुमोदनों, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना हैं।

भवदीया

डिम्पल भांडिया
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

एडी कैट-I बैंकों के संबंधित पक्षों द्वारा किए गए लेन-देन की रिपोर्टिंग

1. **रिपोर्टिंग इकाई:** एक एडी कैट-I बैंक अपने अपतटीय संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के आवश्यक विवरणों को क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के ट्रेड रिपॉजिटरी (टीआर) को रिपोर्ट करेगा। एडी कैट-I बैंक का संबंधित पक्ष भी अपने द्वारा किए गए ऐसे डेरिवेटिव के विवरण को स्वतंत्र रूप से सीसीआईएल के टीआर को रिपोर्ट करने का विकल्प चुन सकता है।

2. **संबंधित पक्ष:** इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, शब्द "संबंधित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण या अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 24 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण या किसी भी अन्य समकक्ष लेखांकन मानक में निर्दिष्ट है। बशर्ते कि शब्द 'संबंधित पक्ष' सहयोगियों को बाहर कर देगा, जैसा कि इंड एएस 24 या आईएएस 24 अन्य समकक्ष लेखांकन मानक में निर्दिष्ट है।

3. **लेन-देन का कवरेज:** भारत में एडी कैट-I बैंक के संबंधित पक्षों द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई आईएनआर से जुड़ी सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्ट, टीआर को की जाएगी। इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, ओटीसी डेरिवेटिव का अर्थ उन डेरिवेटिव के अलावा अन्य डेरिवेटिव होंगे जो स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर कारोबार किए गए डेरिवेटिव शामिल होंगे।

4. **रिपोर्टिंग आवश्यकताएं:** एडी कैट-I बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अपतटीय संबंधित पक्षों द्वारा किए गए सभी कवर किए गए लेन-देन की रिपोर्ट की जाए। परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, ऐसी रिपोर्टिंग निम्नलिखित आवश्यकताओं के अधीन होगी:

   (i) एडी कैट-I बैंक को, 5 जुलाई, 2016 के समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन में यथापरिभाषित बैक-टू-बैक व्यवस्था के अनुसार किए गए लेन-देन और भारत में अन्य एडी कैट-I बैंकों के साथ संबंधित पक्षों द्वारा किए गए लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है;

   (ii) एडी कैट-I बैंक के पास उन लेन-देन की रिपोर्ट नहीं करने का विकल्प होगा, जहां संविदा का नोशनल 1 मिलियन अमरीकी डालर या समकक्ष से अधिक नहीं है;

   (iii) एडी कैट-I बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि:

(ए) इन निदेशों को जारी करने की तारीख के 12 महीने बाद से, इसके द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन, इसके संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के कल्पित मूल्य का कम से कम 70 प्रतिशत हैं;

(बी) इन निदेशों को जारी करने की तारीख के 18 महीने बाद से, इसके द्वारा सूचित किए गए लेन-देन अपने संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के कल्पित मूल्य का कम से कम 80 प्रतिशत हैं; और

(सी) इन निदेशों के जारी होने की तारीख के 24 महीने के बाद से, इसके द्वारा सूचित किए गए लेन-देन अपने संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के कल्पित मूल्य का कम से कम 90 प्रतिशत हैं; और

(iv) उपरोक्त (iii) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, रिपोर्टिंग आवश्यकता की गणना के उद्देश्य से, ऊपर (i) और (ii) में इंगित लेन-देन को बाहर रखा जा सकता है।

5. **रिपोर्ट किए जाने वाले लेन-देन का विवरण:** एडी कैट-। बैंक कवर किए गए लेन-देन के सभी तत्वों की रिपोर्ट करेगा जो लेन-देन के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हैं। इसमें कल्पित मूल्य, प्रतिपक्ष का नाम, परिपक्वता तिथि, मुद्रा, लेन-देन पर यथालागू विनिर्देश आदि शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। केंद्रीय प्रतिपक्ष को केवल उन मामलों में प्रतिपक्ष के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है, जहां कवर किया गया लेन-देन एक अनाम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाता है और केंद्रीय प्रतिपक्ष द्वारा समाशोधित किया जाता है। रिपोर्टिंग प्रारूप रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से सीसीआईएल द्वारा दर्शाए गए अनुसार होंगे।

6. **रिपोर्टिंग के लिए कट-ऑफ समय:** लेन-देन की रिपोर्ट अधिमानतः लेनदेन की तारीख को, लेकिन किसी भी स्थिति में, लेनदेन की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर, की जाएगी।